न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 11/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00080

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
कानाराम भाटी पुत्र श्री घेवरराम जाति माली, निवासी किशन नगर (बेडकला), तहसील जैतारण, जिला पाली		1. दुर्गाराम पुत्र श्री घेवरराम जाति निवासी किशन नगर (बेडकलां), तहसील जैतारण 2. ग्राम पंचायत बेडकला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बेडकलां, तहसील जैतारण, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित
अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 01.02.2021

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के किशन नगर बेड़कला में ग्राम पंचायत बेड़कलां द्वारा पट्टा संख्या 133 दिनाँक 20.12.2008 प्रस्ताव संख्या 6 मिसल संख्या 64/2008–09 जो अप्रार्थी श्री दुर्गाराम के पक्ष में जारी किया गया है उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत बेड़ कलां से रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत बेड़कला के पत्रांक 652 दिनांक 15.06.2020 के अनुसार इस पट्टा बाबत रेकर्ड ग्राम पंचायत में नहीं होने से बहस से बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है। व पट्टा संख्या 133 मिसल संख्या 64/2008–2009 जो अप्रार्थी संख्या के नाम जारी किया गया उक्त मकान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता घेवरराम का है तथा दोनों का सामलती कब्जा है व उपयोग उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया वह विधीविरूद्ध जारी किया गया है जो काबिल निरस्त है। जैर निगरानी आराजी का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत बेड़कला द्वारा पट्टा संख्या 44 मिसल संख्या 4/72–73 दिनाँक 25.03.73 का जारी सुदा है। इसके प्रस्ताव संख्या 18/07 दिनांक 18.03.1973 को लिया गया है उक्त पट्टा श्री घेवर , गुणेश, रतना, सुखा पुत्र आसुजी माली के नाम से जारी सुदा है पट्टे की पत्रावली संलग्न पेश की है दोनों पट्टों के अंकित पड़ोस से एक ही आराजी होना स्पष्ट है। किसी आराजी का एक बार पट्टा जारी किया जा चूका है तो दुबारा उसी आराजी का जारी करना विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा घेवरराम के हिस्से में आई भूमी का एक एक ही भाई दुर्गाराम के नाम पट्टा जारी कर दिया है तथा विधि अनुसार उक्त आराजी में दोनों ही भाई हिस्सेदार है। प्रार्थी पूर्व की तरफ व अप्रार्थी पश्चिम दिशा की तरफ काबिज है जिसका नजरी नक्शा भी पेश किया है जो पत्रावली के संलग्न है ग्राम पंचायत द्वारा विधी अनुसार आपतिपंत्र जारी नहीं किया गया मौके की जांच नहीं की गई न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए इस प्रकार पंचायत नियमों में प्रदत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा पट्टा जारी किया गया जो निरस्त योग्य है जैर निगरानी पट्टा 157(1) में पुश्तैनी भूमी का ही जारी किया जाता है प्रार्थी अप्रार्थी का सगा भाई होने से उसका भूमी में पुश्तैनी भी हक होने से अप्रार्थी के हक में जारी पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी [illegible] में पूर्व दिशा की तरफ रास्ते की भूमी को शामिल करते हुए 24x02 [illegible] मात्र 200/– रूपये अक्षरे दो सौ रूपये मात्र में जारी किया गया है जो [illegible] व न्यायोचित नहीं है ना ही किसी सक्षम प्राधिकारी से इसका अनुमोदन कराया है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा उस आराजी का जारी किया गया है जिसका पूर्व में पट्टा जारी सुदा था अर्थात नजूल आबादी भूमी नहीं थी तथा राजस्थान पंचायत राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:07 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

अधिनियम में प्रदत नियमों की पालना नहीं किया जाने से पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जेर निगरानी पट्टा की आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी किया गया था यह सत्य नहीं है क्योंकि जिस आराजी को विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश किया उसके उत्तर में बस्तीराम का पड़ोस अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टा में सुखराम के पड़ोस अंकित है इससे पृथक भूखण्ड होना जाहिर होने से पट्टा निरस्त करने योग्य नहीं है। जैर निगरानी पट्टा उपपंजीयक जैतारण के कार्यालय में पंजीकृत कराया हुआ है इस कारण पंजीकृत पट्टे को निरस्त किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है जैर निगरानी पटैटे को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी के पिता जिवित है तथा उनके द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया है जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की स्वयं की क्रयुसदा सम्पति हैं। ग्राम पंचायत बेड़ कला द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर मिसल संख्या 64/2008–09 कायाम कर संकल्प संख्या 06/20.12. 2008 के अनुसरण में दिनाँक 20.12.2018 को पट्टा जारी किया है तथा भूमी पुश्तैनी होने से पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है जो विधीसम्मत होने से जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे। पट्टा नियम 150–152 निलामी द्वारा लिया गया है जैर निगरानी आराजी का निलामी से अन्तिम बोलीदाता रहने से उनके नाम की अन्तिम बोली होने से पट्टा अप्रार्थी के हक में जारी किया गया है जो बाद भुगतान पट्टा जारी किया गया है उक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखाने के आदेश प्रदान करावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण के अवलोकन उपरांत दो बिन्दुओं के आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है। 1. क्या पट्टे पर पट्टा है। 2. क्या पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का पालना किया गया है कि नहीं। बिन्दु 1 में साक्ष्य देखने पर स्पष्ट होता है कि दो पट्टे जारी किये गये है। परन्तु पड़ोस भिन्न है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से साबित करने में अपीलांट असफल रहा है कि उक्त पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की जमीन पर जारी हुआ है। बिन्दु संख्या 2 में पट्टे का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से पाया गया कि पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 150 से 152 के तहत दिया गया है। जिस अनुसार नीलामी द्वारा पंचायत विक्रय करती है। पत्रावली के अभाव में प्रक्रिया पर फैसला नहीं किया जा सकता है परन्तु सरसरी तोर पर देखने से स्पष्ट है कि किसी प्रकार की नीलामी इस प्रकरण में की गई है ऐसा नजर नहीं आता है। कमेटी, व बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाना प्रतित होता है। 24402 वर्ग फीट जमीन रूपये 200 में नीलामी किया जाना किसी रूप में उचित प्रतित नहीं होता है तथा धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार भी अवैधानिक सिद्व होता है। यदि यह भी मान लिया जाए कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 157 के तहत नियमितीकरण किया गया है तो नियम 157 के तहत भी अधिकतम 300 वर्गगज का पुश्तैनी मकान का नियमितीकरण हो सकता है जबकि इस प्रकरण में 24402 वर्गफीट का नियमितीकरण किया गया है जो नियमविरूद्ध होने से अवैध माना जाना उचित प्रतित होता है।

परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत बेड़ कलां द्वारा पट्टा संख्या 133 दिनांक 20.1[illegible] प्रस्ताव संख्या 6 मिसल संख्या 64/2008–2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 दुर्गाराम के पक्ष में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:07 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)